राम बहादुर राय द्वारा अम्बेडकर पर टिप्पणी

राम बहादुर राय से मैं निकट से परिचित रहा हूँ। उनमें एक अच्छे पत्रकार के सारे गुण मौजुद हैं, भले ही एक अच्छे राजनीतिज्ञ अथवा कूटनीतिज्ञ के सारे गुण उनमें न रहे हों। कुछ दिनों पूर्व रामबहादुर राय जी द्वारा भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कथित टिप्पणी को लेकर देश भर में चर्चा हुई। टिप्पणी के अनुसार राय साहब ने यह कहा बताते हैं कि भारत का संविधान बनाने में अम्बेडकर जी की बहुत मामूली भूमिका थी। यहॉ तक कि उन्होंने संविधान के संबंध में यह टिप्पणी की थी कि यदि अभी भारतीय संविधान को आग लगाने की बात आई तो वे अर्थात अम्बेडकर जी इस कार्य में सबसे आगे रहेंगे। राय साहब ने स्पष्ट किया है कि मेरी बात को बहुत तोड़ मरोड़ कर गलत इरादे से प्रस्तुत किया गया। साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने पत्रकार को कोई इन्टरव्यू दिया ही नहीं है। संभव है कि पत्रकार हमारी आपसी चर्चा में बैठा रहा हो।

मैं नहीं कह सकता कि सच क्या है। हो सकता है कि राय साहब ने अपनी मित्र मंडली के बीच ऐसी बात कही भी हो तथा यह भी हो सकता है कि उन्होंने यह बात न भी कही है। मैं जानता हूँ कि राय साहब एक स्पष्टवादी पत्रकार के रुप में विख्यात रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने कहा भी हो, किन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि राय साहब बहुत कम बोलते हैं अनुशासित रहकर कार्य करते हैं, अपनी सीमायें अच्छी तरह समझते हैं तथा किसी सार्वजनिक पद पर आने के बाद वे ऐसी टिप्पणी कर ही नहीं सकते। राय साहब पत्रकारिता के मामले में इतने ईमानदार रहे हैं कि उनके किसी निकट के परिचित पत्रकार ने अपने निकट के परिचित मित्र का विश्वास प्राप्त करके उसके कथन का दुरुपयोग किया तो राय साहब ने अपने परिचित के इस आचरण का बहुत कसकर विरोध किया। उनके अनुसार पत्रकारिता का अर्थ विश्वासघात नहीं होता है, जैसा कि आजकल आमतौर पर पत्रकारिता में होने लगा है। मैं स्पष्ट हूँ कि राय साहब ने अम्बेडकर जी के विषय में सत्य बात होते हुए भी इस पद पर रहते हुए नहीं कहा होगा।

कल्पना करिये कि राय साहब ने यह बात कह भी दी तो इसमें असत्य क्या हैं? मेरे विचार में तो अम्बेडकर जी के विषय में जो कुछ सत्य है उसका एक प्रतिशत भी इस बात से स्पष्ट नहीं होता। अम्बेडकर जी ने अपने जीवनकाल में कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिये उनकी आलोचना न की जाये। अम्बेडकर जी जीवनभर राजनीति के उच्चतम स्तर तक जाने की तिकड़म करते रहे, भले ही उस तिकड़म से समाज का कितना भी नुकसान क्यों न हो, या राजनीति का स्तर रसातल तक क्यों न गिर जाये। जिस समय देश के अन्य लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय भी अम्बेडकर जी एक तरफ तो अंग्रजो के साथ तालमेल बिठाने में संलग्न थे तो दूसरी ओर हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख महात्मा गॉधी को भी कमजोर करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे थे। अम्बेडकर जी ने स्वतंत्रता के पूर्व अपने जीवनकाल में सामाजिक व्यवस्था के लिए जो जो विषबीज बोए उन सबका विषफल आज भी हमारे सार्वजनिक जीवन को प्रदूषित कर रहा है। महिला सशक्तिकरण का विषबीज अम्बेडकर जी की ही देन है, जो आज पूरे समाज को महिला और पुरुष के बीच में बांटने का काम करता आ रहा है। अम्बेडकर जी ने ही सबसे पहले गॉवों की कीमत पर शहरों के विकास की रुपरेखा रखी थी। अम्बेडकर जी ने ही हिन्दू कोड बिल बनाकर हिन्दुओं की छाती में ऐसी कील धसायी थी जिससे हिन्दु समाज आज भी मुक्त नहीं हो सका है। अम्बेडकर जी के मन में सर्वणों के प्रति प्रतिशोध का भाव था और वे कभी–कभी तो मुसलमान तक बन जाने की इच्छा व्यक्त करते रहे। भले ही बाद में जब जिन्ना मुसलमानों के नेता बन गये तब उन्होंने यह इच्छा त्याग दी। किन्तु मैं आज तक नहीं समझ सका कि यदि अम्बेडकर जी हिन्दु मुसलमान के बीच तटस्थ भाव रखते थे तो उन्होंने हिन्दू कोड बिल क्यों बनाया? क्यों नहीं ऐसा बिल मुसलमानों के लिए भी बनाया? मैंने जितना गॉधी को समझा तो यह पाया कि गॉधी वर्ग समन्वय के पक्षधर थे। यहॉ तक कि वे वर्ग निर्माण भी ठीक नहीं समझते थे जबकि अम्बेडकर इसके ठीक विपरीत वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष के लिए दिनरात प्रयत्नशील रहते थे।गॉधी अकेन्द्रित सत्ता के पक्षधर थे, तो अम्बेडकर जी केन्द्रित सत्ता के। अम्बेडकर जी की नीयत का इसी से स्पष्ट आभास होता है कि उन्होंने संविधान बनाते समय संसद को इतना अधिक मजबूत कर दिया कि वह सर्वशक्तिमान बन जाये।

अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका के सारे कामों में हस्तक्षेप करते हुए संविधान संशोधन तक के सारे अधिकार उसी संसद को दे दिये गए। इसका अर्थ हुआ कि लोकतंत्र के नाम पर लोक पॉच वर्षो में एक बार तंत्र की कार्य पद्धति पर मोहर लगाने को बाध्य हो गया। मेरे विचार में अम्बेडकर जी ने संविधान के प्रति जो असंतोष व्यक्त किया था उसका आधार मात्र इतना ही था कि वे संविधान के द्वारा हिन्दु विचारधारा को जिस सीमा तक टूटा फूटा हुआ देखना चाहते थे उस सीमा तक वे संविधान में नहीं घुसा सके। संविधान लागू होने के बाद भी उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और सफलता न मिलते देख मंत्री मण्डल से भी त्याग पत्र देने में देर नहीं की। मैंने सुना है कि अम्बेडकर जी भाषा के मामले में भी अंग्रेजी के पक्षधर थे। यहॉ तक कि एक बार जब हिन्दी के पक्ष में जोरदार आवाज उठी तो उन्होने हिन्दी की जगह संस्कृत का पक्ष ले लिया, जिससे अंग्रेजी को स्थापित करने में सुविधा हो।

यदि हम वर्तमान परिस्थितियों का ऑकलन करें तो जो अवर्ण आरक्षण का लाभ उठाकर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रगति के शिखर पर जा रहे है उन्हें अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। इसी तरह जो राजनेता वर्तमान संविधान की कमजोरियों का लाभ उठाकर समाज को गुलामी की सीमा तक ढकेलने में सफल हुए है उन्हें अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि इन सारी बातों को जानते हुए भी नरेन्द्र मोदी और संघ परिवार को मोदी जी के प्रति इतनी अधिक कृतज्ञता का नाटक क्यों करना चाहिए? मैंने स्थितियों को समझा और महसूस किया कि यदि मैं भी नरेन्द्र मोदी या संघ परिवार की जगह पर होता तो मुझे भी यह नाटक करना आवश्यक और उचित था, जो आज इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक विचारक हूॅ ,राजनेता नहीं। स्पष्ट है कि सारी दुनियां में साम्यवाद सर्वाधिक खतरनाक विचारधारा मानी जाती है जो अब समस्या के रुप में नहीं दिखती। खतरनाक होने के क्रम में पूरी दुनिया में संगठित इस्लाम दूसरे क्रम पर आता है जो वर्तमान में साम्यवाद के बाद पहले क्रम में आ गया है। यह भी स्पष्ट है कि धार्मिक इस्लाम समाज व्यवस्था में सहायक होता है और संगठित इस्लाम खतरनाक। जो स्थिति पूरी दुनियां की है वही भारत की भी है। इसका अर्थ है कि साम्यवाद और संगठित इस्लाम से मुकाबला करने के लिए सारी दुनियां को एकजुट होना चाहिए और उस क्रम में कम से कम इस्लामिक संगठनों के अतिरिक्त अन्य सब को तो एकजुट होना ही होगा। अम्बेडकर जी द्वारा बोए गए विष बीज अब फलफूल रहे है अर्थात भारत के बहुमत हिन्दुओं को भी सवर्ण–अवर्ण, महिला– पुरुष में बांटकर कभी एक जुट नहीं होने देते। ऐसी स्थितियों में साम्यवाद संगठित इस्लाम के गठजोड़ के विरुद्ध अन्य सबको एक जुट होना ही चाहिए, चाहे वे इसाई हो, महिला हो, या सवर्ण हो, या अवर्ण। मैं समझता हूॅ कि मोदी जी और संघ परिवार कम से कम इतना अवश्य समझते होंगे कि महिला सशक्तिकरण का नारा समाज को तोड़ने वाला है। अम्बेडकर जी की प्रशंसा एक खलनायक की परिस्थितिजन्य चापलूसी के समान है। भारतीय संविधान में व्यापक संशोधन करके तंत्र की तुलना में लोक को सशक्त होना ही चाहिए। किन्तु इन सबके बाद भी यदि उन्होंने वर्तमान समय में यह मार्ग चुना है तो मैं उनके इस मार्ग से पूरी तरह सहमत हूॅ उसके पक्ष में हूॅ तथा मैं इस मार्ग में सहायक ही बनूॅगा।

मेरे विचार में राम बहादूर राय जी इतने सावधान अवश्य होंगे कि इन परिस्थियों में सत्य को किस प्रकार प्रकट करना चाहिए। यदि किसी कारण वश कोई भूल या विश्वासघात भी हुआ होगा तो मेरी सलाह है कि राय साहब को इस मामले में और अधिक सावधान रहना चाहिए।

प्रश्नोत्तरः–

1.श्री संजय तिवारी, विस्फोट डॉट कॉम से

प्रश्नः–आपने परिवार व्यवस्था पर बहुत कुछ लिखा है। आप बताने की कृपा करे कि महिला सशक्तिकरण का स्वरुप क्या होगा तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह प्रणाली का भविष्य क्या है।

उत्तरः—मैंने इस पर गंभीर विचार किया। महिला सशक्तिकरण का नारा तथा राजनैतिक, सामाजिक प्रयत्न पूरी तरह घातक हैं, जो समाज में अव्यवस्था पैदा करेंगे। महिलाओं को पुरुषों के समान सशक्त होना चाहिए, इसमें मेरी सहमति है किन्तु इसके लिये पारिवारिक वातावरण को हम विचार परिवर्तन द्वारा बदलने का प्रयास करेंगे। वह प्रयास भी पुरुष मानसिकता में ही होगा, महिलाओं को वर्ग के रुप में पुरुषों के खिलाफ खड़ा करना महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की अपेक्षा अधिक घातक होगा।

विवाह पद्धति के भविष्य पर मैंने बहुत सोचा। भारत में जिस तरह महिला सशकितकरण का नारा बुलंद है तथा जिस तरह सशक्तिकरण के नारे के साथ परिवार तोड़क महिलाएँ आगे बढ़कर चिल्ला रही है उससे विवाह पद्धति को बहुत खतरा पैदा हो गया है। विवाह करके बहू को घर में लाना बहुत बड़े खतरे के रुप में महसूस किया जाने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि हम किसी पुरानी परिपाटी के चक्कर में पड़कर किसी जहरीले सांप को अपने घर में जगह देने की कोशिश कर रहे हों।

मुझे ऐसा दिखता है कि ऐसा खतरा टालने के उद्देश्य से विवाह का स्वरुप बदल सकता है। अर्थात् कोई व्यक्ति यह वैधानिक प्रक्रिया अपना सकता है, कि मैं किसी महिला के साथ विवाह नहीं करुँगा न ही उसे पत्नी मानूँगा, न ही उसे कोई अधिकार दूँगा। मैं तो मात्र उसे एक नौकर के समान एग्रीमेंट करुँगा कि वह मेरे साथ नौकरानी के समान तय शर्तो पर अपना वेतन लेगी, तथा तय शर्तो के समान घर में रहेगी तथा वह मेरे साथ सोयेगी भी। उससे जो संतान पैदा होगी उस पर मेरा अधिकार होगा। एग्रीमेंट के नियमानुसार दोनों पक्ष एग्रीमेंट कभी भी तोड़कर अलग—अलग हो सकते है। मैं उसे भोजन ,वस्त्र, तथा अन्य सुविधाएँ दूँगा किन्तु वे सुविधाएँ लेना उसका अधिकार नहीं होगा। मैं महसूस करता हूँ कि यह स्थिति अच्छी नहीं होगी किन्तु जिस तरह वर्तमान समय में कुछ उच्श्रृंखल महिला पुरुष राजनैतिक स्वार्थ के लिए व्यवस्था को बिगाड़ रहे है उस स्थिति में यह नौकर मालिक का रिश्ता स्वाभाविक बदलाव दिखता है।

2. श्री नरेन्द्र सिंह जी, बुलंदशहर, उ0प्र0

प्रश्नः— आर्थिक विचारक रोशनलाल अग्रवाल जी के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में अमीरी रेखा बननी चाहिए। इस विषय की वे सीमाओं के पार तक वकालत करते है, जबकि आप इसका विरोध करते है। इस विषय के दोनों पक्षों का यथार्थ क्या है?

उत्तरः— मैंने हमेशा अमीरी रेखा का विरोध किया है, रोशनलाल अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत अमीरी रेखा का नहीं। अब तक दुनियां में अमीरी रेखा का यह अर्थ प्रचारित रहा है कि उस रेखा के ऊपर किसी व्यक्ति के पास कोई सम्पत्ति नहीं होगी। मैं ऐसी रेखा के विरुद्ध हूँ। रोशनलाल जी अमीरी रेखा की जो व्याख्या करते है इससे सिद्धांतः मेरा कोई विरोध नहीं है। यद्यपि साम्यवादियों द्वारा प्रचारित अमीरी रेखा से तालमेल बनाये रखने के लिये रोशन लाल जी अमीरी रेखा से ऊपर की सम्पत्ति को सामाजिक कर्ज तथा ब्याज की दर पर लगने वाले टैक्स को उस कर्ज का ब्याज कहते है, किन्तु यह कहने की बाते है उनका वास्तविक अर्थ वही है जैसा मै व्यक्त कर रहा हूँ।

मेरे और उनके आर्थिक चिंतन में बहुत मामूली फर्क है। मैं कहता हूँ कि सम्पूर्ण सम्पत्ति पर दो प्रातिशत कर लगना चाहिए तथा कृत्रिम उर्जा पर भारी कर भी लगना चाहिए। रोशनलाल जी का कहना है कि एकरेखा बनाकर उसके ऊपर वालो को ब्याज की दर अथवा कम से कम चार प्रतिशत वार्षिक का कर लगना चाहिए। गरीबी रेखा से ऊपर सब लोग अमीर है या अमीरी रेखा से नीचे सब गरीब है इन दोनों के भावार्थ में कोई फर्क नहीं। दूसरी बात यह भी है कि मैं गरीबी रेखा के नीचे वाले अर्थात् अमीरी रेखा से नीचे वाले लोगों को 2000रु/मासिक जीवन भत्ता देने का पक्षधर हूँ। रोशनलाल जी सबको 2000रु से अधिक जीवन भत्ता देने के पक्षधर है। मैं नहीं समझता कि सम्पत्ति कर किसी रेखा से ऊपर वालो को लगे या सबको लगे, दो प्रतिशत

लगे या ब्याज की दर से लगे, सीमा रेखा से नीचे वालो को बांटा जाये या सबको, 25000रु वार्षिक दिया जाये या 100000रु वार्षिक, इन सब में कोई मौलिक मतभेद हैं। ये तो सिर्फ व्यावहारिक बाते हैं।

फिर भी दो बातों पर मैं उनसे थोड़ा भिन्न हूँ। मैं कृत्रिम ऊर्जा पर भारी कर लगाने के पक्ष में हूँ जिससे श्रम की मांग और मूल्य बढ़े। यह भी है कि मैं आर्थिक असमानता की तुलना में राजनैतिक अधिकारों की असमानता को अधिक घातक मानता हूँ। जिसका अर्थ हुआ कि मैं राजनैतिक सत्ता के अकेन्द्रियकरण या कम से कम विकेन्द्रीयकरण अवश्य होने को प्राथमिक मानता हुँ, जबकि रोशनलाल जी आर्थिक असमानता को ही महत्व देते है। इस तरह मैं राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सब प्रकार की सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में हूँ, जबकि वे सिर्फ आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन के। यदि रोशनलाल जी के प्रयासों से आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन भी हो जाता है तो हमारे कार्य में सहायक ही होगा। मेरी शुभकामनाएँ उनके प्रयत्नों के साथ है।

3—श्री जीवेश साहनी, सीतापुर, उ0प्र0 ज्ञानतत्व 208030

प्रश्नः— यदि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य ढाई गुना हो गया, तो कृषि तथा यातायात पर इसका क्या प्रभाव होगा। गरीब लोग कैसे इनका उपयोग कर पायेंगे।

इसी तरह यदि राईट टू रिकॉल लागू हुआ और संसद में एक का बहुमत है तो एक का राईट टू रिकॉल होते ही पूरी सरकार अव्यवस्थित हो जायेगी तथा यह भी संभव है कि आम चुनाव कराना पड़े। इस संबंध में आपने क्या सोचा है।

उत्तरः— कृत्रिम उर्जा की मुल्यवृद्धि का कृषि उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में कृषि उत्पादनों पर जितने टैक्स है वे समाप्त हो जायेंगे। मेरे विचार से कृत्रिम ऊर्जा के मुल्य ढाई गुना करने के बाद कुल मिलाकर जितनी भी मुल्यवृद्धि होगी, उससे कुछ ज्यादा ही टैक्सों में राहत होगी। इसलिए यह चिंता अनावश्यक है बल्कि कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि से वही कृषि उत्पादन प्रभावित होगा जिसमें कृत्रिम ऊर्जा की खपत होगी। ऐसा उत्पादन भारत में करीब 60 प्रतिशत माना जाता है। टैक्सों की राहत सम्पूर्ण कृषि उत्पादन पर होगी। अर्थात ऊर्जा रहित उत्पादन जिसमें मानव श्रम या पशु धन का उपयोग अधिक होता है उसे तो शुद्ध लाभ होगा।

आवागमन महंगा होगा और होना ही चाहिए क्योंकि सस्ते आवागमन ने उद्योगों का केन्द्रियकरण किया है, व्यवसायों का केन्द्रियकरण किया है तथा ग्रामीण आबादी लगातार शहरों की ओर पलायन कर रही है। यदि आवागमन महंगा हुआ तो गॉव और शहर के बीच की दूरी घटेगी। ऐसा होना बहुत अच्छा होगा। कृत्रिम ऊर्जा की मुल्यवृद्धि से जो धन इक्कठा होगा वह आधी निचली आबादी में 2000 रु प्रतिमाह प्रति व्यक्ति बंटेगा। इसका अर्थ होगा कि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी ,छोटे किसान सभी ऊपर के लोगों से कुछ अधिक अच्छा मुकाबला करने में सक्षम होंगे।

वर्तमान समय में संसद में संख्या बल का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि सांसद वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। संसद में मतदान तो एक नाटक मात्र है जो समाज को धोखा देने के लिए कराया जाता है। जब सांसद मत देने के लिए स्वतंत्र ही नहीं है तो जिस दल को जितनी सीट मिले वे सीटें उसकी मान ली जायें। इस तरह यदि किसी सांसद का राईट टू रिकॉल हो भी गया तो वह सांसद ही बाहर जायेगा न कि उसकी पार्टी की संख्या। पाटी की संख्या में तो तब फर्क आयेगा जब चुनाव के बाद उसकी जगह कोई अन्य आ जायेगा। यदि आप किसी के राईट टू रिकॉल से इतने चिंतित हैं तो फिर एक व्यक्ति दो जगह पर चुनाव लड़े या एक व्यक्ति मर जाये तो उससे भी वही प्रश्न उठेगा जो राईट टू रिकॉल से है।

4—ओमप्रकाश मंजुल, पूरनपुर, पीलीभीत, उ0प्र0

विचार— सुभाषित का विद्यमान पूर्वार्ध, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम लगता है मुझ जैसे बुद्धिमानों जो बरसात के दिनों को साहित्य में डुबकी लगाकर सानंद व्यतीत करते है, के लिए ही लिखा गया है, जबकि मूरख यही समय सोने या लड़ने में बर्बाद कर देते हैं। मैं इन दिनों में मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साहित्य का अनुशीलन किया करता हूँ। मेरे देश के साहित्य प्रेमी बेसाख्ता पूछ बैठ सकते हैं, मोदी का साहित्य? मोदी ने तो कुछ लिखा ही नहीं है, कि इन कम पंक्तियों में उसे समझाया नहीं जा सकता। मेरे देश के मेरे भाईयों, मोदी के मन की सारी बातों, भावों तथा उनके ए टू जेड भाषणों को जोड़ दे तो वह नरेन्द्र कोहली के साहित्य सरोवर से भी कहीं बड़ा साहित्य सागर सिद्ध होगा। मेरे जैसे विद्धानों को छोड़कर मेरे देश के बहुत कम लोग जानते हैं कि अध्ययन की दो विधियां होती है—आगमन और निगमन। आगमन प्रणाली में बात का बतंगड बनाकर लक्षणों के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है, जगकि निगमन में गणित के प्रश्न के हल की तरह उत्तर को ऊपर और प्रकिया को नीचे चाय की तरह पतला फैलाकर लक्षण निकाले जाते है। मेरे देश के प्रधानमंत्री का अधिकतर साहित्य दूसरे प्रकार का ही है। परिभाषा से विशेषता बतायी तो कौन सा तीर मारा। कमाल तो तब है जब विशेषता से परिभाषा निकाली जाये। नशा पिला के गिराना सभी को आता है। मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साकी।

मेरे देश के भाईयों, मैं मोदी जी के मोदपूर्ण मैथड मैनर से बहुत मुदित हूँ। मोदी जी ने मेरे छात्रों को बहुत मोडीफाइढ किया है। मेरे देश के बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मेरे देश के दलित नेता बाबू जगजीवन राम जी की 5 अप्रैल को जन्म जयंती थी। यह भी मेरे देश के कम लोग ही जानते है कि सन 1971 में यदि बाबू जी भारत के रक्षामंत्री न रहे होते तो आज बांग्लादेश नहीं होता। इन्ही बाबू जी की जन्म जयंती पर मोदी जी ने गाजियाबाद में स्टैण्ड इंडिया को लांच करते समय अपने दिल दिमाग दोनो की विशालता का परिचय एक से अधिक बार मेरे देशवासियों आज बाबू जगजीपन राम जी की जन्म जयंती है, कहकर दिया। जिन छात्रों को मैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा समझाते—समझाते हार गया वे मोदी की निगमन विधि से चुटकी बजाते समझ गये। मोदी जी के उक्त सदवाक्य को मात्र चार बार चीखने के बाद मैंने देखा कि मेरे प्रिय प्राइवेट टयूशन छात्रों का एक साथ विकास होने लगा है। मैंने चढ़े तवे पर चार और सेंक लेने की शैली में विराट के बल्ले की तरह दै दनादन की पूरी आनुप्रासिक ध्वन्यात्मकता के साथ मेरे गॉव में ग्रीनरी गाय गुड गोया गन्ना गुड ग्रांड और ग्रेट गुडस ग्रांड टोटल में हैं के कई बार वार किये। इसके बाद मेरे प्रिय छात्रों और मेरे बीच हुए संवाद से आप स्वयं समझ जायेंगे कि उनका कौशल विकास कितनी तात्कालिकता से हुआ।

डियर स्टूडेंटस तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वे स्वच्छ भारत मिशन के विज्ञापन वाले मेरे सवा सौ करोड प्रिय देशवासियों की भांति चिल्लाये सर हमें तो लग रहा है कि अनुप्रास अलंकार सजीव होकर हमारे मस्तिष्क में धंसा आ रहा है। पहले संवाद के ज और दूसरे के ग की रागात्मक आवाज सुनकर हम जग ही गये है। इन म्यूजिकल और मैजिकल डायलागों को सुनकर मजा आ गया। सर मेरे देश के सभी सवा सौ करोड़ लोग ऐसे ही बोलने लगें तो देश में स्वर्ग ही उतर आये। मेरे प्रिय प्राइवेट छात्रों, किसी एक अक्षर से इस प्रकार आने वाले मजा को ही अनुप्रास कहते हैं। समझे? यस सर। तो क्या कहते है इस अलंकार को जिससे हमारी बात प्रभावशाली बन जाती है? अनुप्रास। मैंने उनका पुनः मूल्यांकन किया मेरे प्रिय बच्चो मोदी ममता मॉ माटी मानुष और मनी मौत में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। शाबास। निसंदेह जैसे उपमा में कालदास उसी तरह अनुप्रास में नरेन्द्र मोदी है।

मेरे देश के प्रिय भाइयों हर चीज के दो पहलु पक्ष साइड या फैसेट होते है। एक ही चीज सही राम की नजर में सही और गालता प्रसाद की नजर में गलत होती है। मोदी के विरोधी कहते है कि जन्मवर्ष ही जयंती कहलाती है ,पुण्यवर्ष नहीं। सो मोदी को जयंती के साथ जन्म जोडकर जन्म जयंती नहीं कहना चाहिए था। जबकि उनके समर्थको का कहना है कि जन्म जोडने से जयंती में और भी जान पड गयी। इसमें गलत क्या हो गया? जन्म को जयंती से ही तो जोडा गया है गमी से तो नहीं जोडा। मोदी कहीं भी जोडते ही है तोडते या घटाते नहीं। आपके व्यस्ततावश बाल बढ जाये तो एक कहेगा देखिये दार्शनिक हैं जबकि दूसरा कहेगा

नक्शेबाजी और ओवर एक्अिंग कर रहे है। कम्प्यूटर से कंसल्ट कर कर स्टाइलिश हेयर बना रहे है। मोदी जी की आइडिया इंडस्ट्री को ही देखे डिजिटल स्किल स्टैंडस मेक इन स्टार्टप जैसी कोई भी इंडिया हो सभी इंडियाओं के निर्माता मोदी ही है। संभव है वे भविष्य में रनपइंडिया फ्लाई ओवर इंडिया जैसी अन्य हाई फाई इंडियाओं की मैन्युफैक्चरिंग भी करें। मोदी के विरोधी कह रहे है कि इंडियाओं के निर्माण में मोदी ने गॉधी जी के अखबार यंग इण्डिया से प्रेरणा ली है। इधर गॉधी विरोधियों का कहना है कि गॉधी ने खुद यह प्रेरणा यंग इंडिया बनियान वालों से प्राप्त की थी।

असल में महंगाई की तरह बढ रही मोदी की लोकप्रियता को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। परम विद्धान तो वे हैं ही। वास्तव में आज वे वालीबूड वाले नहीं। वर्ल्ड वाली राजनीति के हीरो है। उनका वेश विन्यास हो, केश विन्यास हो, भाषण कला हो भेंटनकला हो, जमीन पर चलने वाली प्लेन या जनरल चाल हो अथवा प्लेन की सीढियों पर चढ़ने उतरने वाली चाल हो, उसके हर क्रियाकलाप में हीरोइज्म की एक विशेष कला देखी जा सकती है। नटवर की हर क्रिया की तरह मोदी की हर लीला मनोहर और मनोरम है। कभी लोग राजेन्द्र और जितेन्द्र जैसे अभिनेताओं की नकल किया करते थे। आज नेताओं में भी मोदी जैसे जैकेट कुर्तो की होड छिपी हुई है। वे मोदी की तरह कपड़े पहनने में मोद और गौरव अनुभव करते है। उनकी आयु का विश्व में दूसरा इतना स्मार्ट नहीं है। इतना स्मार्ट प्रधानमंत्री मिलना अपने प्रिय देश का सौभाग्य है।

उत्तरः—अब तक तो मैं मोदी जी को विचारक या कुटनीतिज्ञ तक ही सीमित समझता था। किन्तु आपने उनकी साहित्यक प्रतिभा, बोलने की कला, कपड़े पहनने की कला आदि के विषय में लिखा यह मेरे लिए नई जानकारी हैं। चूंकि मैं साहित्य सहित अन्य कलाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ हूँ इसलिए मुझे जानकारी के अभाव में इन सब में कोई आनंद नहीं आता। यही कारण है कि मैं आपके पत्र का भी कोई तार्किक उत्तर नहीं दे पा रहा, क्योंकि आपका पत्र मोदी जी की साहित्यिक प्रतिभा से संबंधित है और मैं साहित्य से लगभग शून्य हूँ। आशा है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगे।

5—नरेन्द्र सिंह कछवाहा, संयोजक लोक स्वराज्य मंच, राजसमंद, राजस्थान

प्रश्नः—ज्ञानतत्व 327, 328 व 329 का अवलोकन किया। आज दिनॉक 23.02.2016 के दैनिक भास्कर में पूर्व विदेशी मंत्री एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा का राष्ट्रवाद के महत्व पर प्रकाशित आलेख भी पढ़ा।

सार रुप में, सामान्यजन को ऐसा लगता है कि भारत एक खिचड़ी सभ्यता व संस्कृति विकृत राजनीति व अपंग लोकतंत्र के देश के तौर पर बदल रहा है, जो राष्ट्रवाद तथा वैश्वीकरण दोनों की विरोधी रीति—नीति का स्पष्ट परिचायक है।

ज्ञान तत्व के अंक 327,328 व 329 में जो चर्चाए की गई, उनका सार यही है कि भारतीय अपने वास्तविक स्वरुप को निर्माण कर स्थिर रखने में विफल रहे हैं। सन् 1947 की राजनैतिक स्वतंत्रता उनको स्वतंत्रता के साथ स्वच्छन्दता ही नहीं उच्श्रृंखलता अराजकता और उससे भी आगे बढ़ कर राष्ट्रद्रोह तक देश को ले जा रही है। मूलभूत समस्याएँ यथा संविधान प्रदत्त नागरिक की सामाजिक व आर्थिक समानता, परिवार ग्राम सभा/ वार्ड सभा, समाज के तालमेल के साथ शासन व प्रशासन का संचालन तथा देश की स्थाई शासन—नीति आदि विकृत राजनीति और अपंग लोकतंत्र में डूब गये हैं। मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रानिक्स, तथा साईबर सिस्टम, फेसबुक, ट्वीटर आदि) समाज और देश पर इतने अधिक प्रभावी हो गये हैं कि हम उनके द्वारा उठाई गई लहरों को सुनामी—लहरें मानकर उनके साथ ही गोते खाने लग गये हैं, जो भारतीय परिवेश (सभ्यता, संस्कृति, अर्थशास्त्र) को भूल कर।

भारत के संविधान में न तो बहुसंख्यक हैं, न अल्पसंख्यक, न महिला, न पुरुष या समलैंगिक, न राष्ट्रवाद, न राजनीति, न राजनैतिक दल तथा न उनके सिरमौर। लेकिन देश की राजनीति को 2 प्रतिशत

महिलाये, 5 प्रतिशत पुरुष तथा मीडिया चला रहे हैं। बचा खुचा काम देश के न्यायालय कर रहे हैं, जिनको राजनेता और उनकी पार्टी कोई खास तवज्जो नहीं देते।

तो सरकार भी उनकी क्यों परवाह करें। न्यायालय के अनगिनत जनहित के आदेश, निर्देश व निर्णय सरकारी फाईलों में दबे पड़े है। बाकी सामान्यजन दर्शक ही नहीं, परिणाम भुगतने वाले देशवासी यह सब तमाशा देखने को मजबूर हैं।

सामाजिक व आर्थिक समानता, प्राकृतिक न्याय, प्रकृति व मानवता का संरक्षण तो किसी राजनैतिक दल के मुद्दे ही नहीं रहे। सब कुछ विकृत राजनीति, अपंग लोकतंत्र तथा पश्चिमी धनाढयों व पूँजीपतियों की सौगात मीडिया ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक व न्यायधीश बने रहेंगे या फिर हम अपने को, अपनी सभ्यता, संस्कृति, प्रकृति तथा मानवता का मूल्य पहचान कर उनके संरक्षण के साथ अनुकूल आचरण करेंगे।

क्या यह उचित नहीं है कि हमें इस जमाने के तकनीकी विकास के साथ जीवन जीना और इससे विचलित न होकर काम करना सीखना होगा। यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त व विदेश मंत्री के अनुसार आज हमारा सोच नैपथ्य में चला गया है। हम समाचार पत्र, टीवी, फेसबुक, ट्वीटर आदि से अधिक विचलित और संचालित हो रहे हैं। हमारा भविष्य हम स्वयं गढने में विफल होकर हमारा भविष्य ये धनाढयों/पूँजीपतियों के उत्पाद तय कर रहे हैं। हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, शुद्ध–जल, शुद्ध वायु, शुद्ध खाद्य सामग्री, शुद्ध पर्यावरण, जैविक खेती आदि को हम भूल रहे हैं। जो कुछ शासन प्रशासन कर रहा है, वह दिखावा प्रदर्शन, धन अर्जित करने, धन बांटने, नाम व फोटो छपने के प्रति केन्द्रित है, शासक धरातल की समस्याओं के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं, पर धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ घटित हो रहा है, वह ऊपर हवा में हो रहा है। आज की चिन्ता का सबसे बड़ा विषय यही लगता हैं।

ज्ञानतत्व चर्चा करने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म है, किन्तु इसमें आपके विचारों के समानान्तर पाठकों के विचार भी आये तो इसकी उपयोगिता में वृद्धि होगी। ऐसा लगता है कि पाठकों के विचारों पर आपका चिन्तन हावी हो रहा है। जबकि पाठकों के विचारों के पीछे भी तो कुछ ठोस आधार होगा। उसे भी ज्ञानतत्व में पर्याप्त महत्व दिये जाने की आवश्यकता है। इसका पाठकीकरण भी होना चाहिए तथा पाठकों की प्रतिक्रिया खुलकर प्रकाशित की जानी चाहिए।

समर शेष है, नही पाप का भागी केवल व्याध,

जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। –दिनकर

उत्तरः– सभ्यता और संस्कृति में एक एकरुपता सब की व्यक्तिगत सहमति से होनी चाहिये अथवा किसी अन्य इकाई द्वारा थोपी हुई। यदि स्वतंत्रता और सहमति को आधार बनाया जायेगा तो प्रारंभ में संस्कृति और सभ्यता खिचड़ी होना स्वाभाविक है। हिन्दुत्व ने कभी संस्कृति और सभ्यता में एकरुपता के लिए कोई बाध्यकारी नियम नहीं बनाए। यहॉ तक कि राष्ट्र की सीमाएँ भी संस्कृति और सभ्यता के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकती। हो सकता है कि ऐसी एकरुपता सुविधाजनक भी हो किन्तु हिन्दुत्व ने सुविधाओं के लिए स्वतंत्रता का हनन कभी नहीं किया।

यह सच है कि आज राजनीति और मीडिया एक सीमा से अधिक शक्तिशाली हो गये है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या हुआ है बल्कि विचारणीय यह है कि क्या होना चाहिए। क्या हमारे समाज प्रमुखों ने हर मामले में राज्य और मीडिया को महत्व देकर उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने की भूल नहीं की। क्या आज हम शराब बंद कराने का काम भी राज्य को सौंप कर उसको अधिक से अधिक सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में नहीं बढ़ा रहें है। क्या कारण है कि आम लोगों पर समाज का प्रभाव घट रहा है तथा मीडिया का बढ़

रहा है। मेरे विचार से मीडिया और राज्य का हस्तक्षेप कम करने के लिए कोई और इकाई सामने आयेगी, तो कहीं वह इकाई ही उच्श्रृंखल न हो जाये, इसका क्या तरीका होगा। मेरी सोच यह है कि समाज को राज्य की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी भूमिका में आना चाहिए। यदि हम समाज के लोगों को अधिक से अधिक जागरुक करेंगे तो मीडिया की गलत बाते समाज में स्थापित नहीं हो पायेंगी। यशवंत सिन्हा जी के विचार इसी अंक में प्रकाशित हो गये है।

यशवंत सिन्हा, पूर्व केन्द्रीय वित एवं विदेश मंत्री, दैनिक भास्कर 23 फरवरी से–

अमेरिका में किसी नागरिक ने लापरवाही वश राष्ट्र ध्वज का अपमान कर दिया तो पूरे देश में आक्रोश पैदा हो गया दूसरी ओर उसी अमेरिका की सरकार ने झमठ बोलकर इराक पर आक्रमण कर दिया, सद्दाम हुसैन को मार डाला तो अमेरिकी जनता ने अपनी सरकार का ही साथ दिया।

हमारे देश में चीजें अलग तरह से देखी जाती हैं, जैसा दिल्ली की जवाहरलाल नेहरु युनिवर्सिटी में हुए मौजूदा विवाद से जाहिर हुआ है। जे.एन.यू. में 9 फरवरी को जो हुआ वह घोर आपत्तिजनक था। नारे भड़ाकाउ, अशिष्ट और स्पष्ट रुप से राष्ट्र विरोधी थे। इसकी उपेक्षा करना खतरनाक होता। हम देख ही चुकें हैं कि धीरे–धीरे मुट्ठीभर राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान समर्थक तत्व श्रीनगर सहित पूरे जम्मू और कश्मीर में खुलेआम मीडिया कैमरे के सामने आए दिन राष्ट्र विरोधी करतूतें करने का दुस्साहस दिखाने लगे हैं। उन्हें न तो भारत के प्रति, और न इसके संविधान व कानून के प्रति कोई सम्मान है। वे सीमा पार से होने वाले आतंकवाद और हर प्रकार की हिंसा के समर्थक हैं। अफजल गुरु ऐसे ही लोगों में से एक था। उसे न्याय के कटघरे में लाया गया और पूरी न्यायिक प्रकिया से गुजरने के बाद और उसके द्वारा खुद के बचाव के लिए कानून व संविधान के तहत उपलब्ध सारे विकल्प आजमाने के बाद उसे फांसी दी गई।

ऐसे में कोई भी जो अफजल गुरु का समर्थन करता है वह निहितार्थ में आतंकवाद और खासतौर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का समर्थन करता है तथा भारत के प्रति उसकी वफादारी स्पष्टतः संदिग्ध है। कोई भी जो जम्मू कश्मीर की आजादी का समर्थन करता है और भारत के टुकडे करने तथा उसे बर्बाद करने की तमन्ना रखता है वह साफतौर पर देशभक्त तो नहीं ही है। जे.एन.यू. में 9 फरवरी को जो हुआ उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस मुलभूत अधिकार का दुरुपयोग कर अपने देश को तो क्या अपने पडोसी को भी गरियाया नहीं जा सकता।

सामान्य प्रक्रिया के तहत जे.एन.यू. के दोषियों से पुलिस को निपटना चाहिए था। यह पुलिस की ड्यूटी है कि वह सबूत इकट्ठे करे, जरुरी होने पर गिरफ्तारी करे और कोर्ट में उन पर मुकद्मा चलाए। पुलिस जो आरोप पत्र कोर्ट में पेश करे, उस पर फैसला देने का काम न्यायिक व्यवस्था पर छोड दिया जाना चाहिए। किन्तु सातों दिन चौबिसों घंटे चलने वाले टेलिविजन के युग में मीडिया की ओर से तत्काल मुकद्मा चला दिया जाता है और तत्काल फैसला भी सुना दिया जाता है। हमें इस जमाने के तकनीकी विकास के साथ जीना और इससे विचलित न होकर काम करना सीखना होगा। किन्तु कोर्ट परिसर में हिंसा पर उतारु होने वाले वकीलों का व्यवहार निंदनीय है। पुलिस को भी अपनी मौजुदगी में ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। सरकार के मंत्रियों को भी अपने निष्कर्ष लेकर मीडिया तक दौड़ लगाने की बजाय शांत बने रहना चाहिए था। न्याय देना न तो सरकार का काम है, और न अन्य राजनीतिक आंदोलनकारियों का। पुलिस और न्यायपालिका को उनका काम करने देना चाहिए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश द्रोह के अपराध को कानून की किताबों से मिटा नहीं डालना चाहिए। बाहें फैलाने के मेरे अधिकार के कारण मुझे किसी चेहरे पर प्रहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सारी स्वतंत्रताओं की अपनी सीमा है और कोई स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। यह कोई तानाशाही विचार नहीं है,यह लोकतंत्र का मूल तत्व है। एक ऐसे देश में जहॉ सशस्त्र बल देश की रक्षा सुरक्षा की खातीर और इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए रोज बलिदान दे रहे हों, देश के लोगों में राष्ट्रवाद सर्वाधिक महत्व का

मूल्य है। यदि स्वतंत्रता के नाम पर देशवासी ऐसे काम करें, जो देश के लिए शर्मनाक हों और देश के बाहर हमारे शत्रुओं को प्रोत्साहित करते हों, तो हमारे सैनिकों से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे सियाचित की खून जमाने वाली कगारों पर सर्वोच्च बलिदान दें। इसलिए आइए शांति और समझदारी को बहाल करने में मदद करें, पुलिस को उसका काम करने दें, और राजनेता, राजनीतिक दल और मीडिया ये गुजारिश है कि वे आग में अपनी रोटी न सकें। हमारे प्रिय देश से बढ़कर किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं है।

राहुल गांधी के लिए भी सलाह के दो शब्द। वे कोई मुद्दा उठाने के लिए बहुत बेताब हैं, लेकिन जे.एन.यू. मामले में उन्होंने साफतौर पर भयंकर भूल की है। जब छात्र नारे लगा रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, तो वे किसकी ओर इशारा कर रहे थे? स्पष्टतः कांग्रेस की ओर, क्योंकि जब अफजल को फांसी दी गई तो वही सत्ता में थी। बेशक, सार्वजनिक रुप से उठाने के लिए मुद्दा खोजने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बॉलीबुड में संघर्ष कर रहे अभिनेता/ अभिनेत्री भी अपना रोल चुनने में सावधानी बरतते हैं।

उत्तरः—व्यक्ति और समाज में कौन बड़ा है यह आज तक निर्णय नहीं हो सका। जिस तरह आज तक यह फैसला नहीं हो सका कि अंडे से मुर्गी बनी या मुर्गे से अण्डा। मैं व्यक्ति और समाज के बीच किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता किन्तु राष्ट्र से समाज बड़ा है यह निर्विवाद है, और आपने इसे समझने में भूल की है। राष्ट्र किन्ही सीमाओं से घिरा भू भाग होता हैं किन्तु समाज की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। राष्ट्र विश्व व्यवस्था का अंग होता है, प्रकार नहीं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को है, व्यक्ति समूह को नहीं। व्यक्ति को अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता है किन्तु यह अभिव्यक्ति के साथ—साथ कोई क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है क्योकि जब कोई क्रिया की जाती है तो वह अभिव्यक्ति की सीमा से आगे निकल जाती है। यदि कोई व्यक्ति अफजल गुरु की फांसी के विरोध में अपना विचार व्यक्त करता है तो यह उसकी स्वतंत्रता है, आप उसे नहीं रोक सकते। जे. एन.यू. का जो प्रकरण है उसमें कुछ लोगों ने अपने—अपने स्वतंत्र विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने की सीमाएँ तोड़कर नारा लगाने लगे यह कार्य उनका अपराध था।

मैं समझता हूँ कि देशद्रोह को परिभाषित करने में आपने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है। आपने जो सलाह दी है वह मानने योग्य है, और माननी चाहिए किन्तु किसी व्यक्ति को उक्त सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, न ही दण्डित किया जा सकता है। बाहे फैलाने के मेरे अधिकार और दूसरे के चेहरे पर प्रहार की तुलना एक साथ नहीं हो सकती। यदि मेरे बाह फैलाने से किसी के चेहरे की सीमा का अतिक्रमण नहीं होता तो मुझे नहीं रोका जा सकता, और यदि अतिक्रमण होता है तो मेरी स्वतंत्रता उच्श्रृंखलता की सीमा में आ जायेगी। मैं समझता हूँ कि राष्ट्र भक्ति का अर्थ समाज से राष्ट्र को ऊपर ले जाने के प्रयास के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, न ही राष्ट्र भक्ति का अर्थ व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की सीमाएँ निश्चित करने के साथ जोड़ा जाना चाहिए। व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता तब तक असीमित है जब तक किसी दूसरे की सीमा से न टकराएँ। यदि कोई ऐसा टकराव होता है तो परिवार, गॉव, प्रदेश, राज्य, राष्ट्र, तथा समाज इन सीमाओं को अपनी सीमाओं में रहने का ज्ञान या मजबूर करने का प्रयत्न कर सकते है।

मीडिया की सीमाए क्या हो, ऐसी सीमाए कौन बनाए तथा ऐसी सीमाएं बनाने का अधिकार रखने वाला संगठन अपनी सीमाएं न तोड़ सके ऐसी भी कोई व्यवस्था बनानी होगी। मीडिया गलती करे तो कौन रोक सकता है, कैसे रोक सकता है और रोकने वाले के गलती करने पर उसे कैसे रोका जाए। इस पर विचार करने की जरुरत है। राहुल गॉधी के विषय में कोई चर्चा करना व्यर्थ है क्योंकि अभी तो वह राजनीति में अपरिपक्व है।

इस पखवाडे के समाचार और उनकी समीक्षा

1—समाचार है कि उ0प्र0 के दादरी में अखलाक नामक मुस्लिम युवक पर गोमांस रखने का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के तत्काल बाद प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि वह गोमांस नहीं था तथा हत्या मुसलमान होने मात्र से कर दी गई। अब अंतिम जांच रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ हैं कि उक्त मांस गोवंश का ही था।

प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति गोमांस रखता या खाता है तो उसकी हत्या करना अपराध होगा या गैरकानूनी। मेरे विचार में मुस्लिम अथवा साम्यवादी संस्कृतियों में सामाजिक नियम तोड़ने वालों की हत्या की जा सकती है। वह हत्या न अपराध है न ही गैरकानूनी। भारतीय संस्कृति में ऐसी हत्या यदि सरकार की इकाई के द्वारा होती है तो वह मान्य है। किन्तु यदि समाज के द्वारा की जाती है तो वह गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि ऐसे व्यक्ति की हत्या बिना न्यायालय में प्रस्तुत किये पुलिस के द्वारा कर दी जाये तो वह गैरकानूनी है और न्यायिक प्रक्रिया से हो तो वह कानून सम्मत। इस तरह किसी व्यक्ति को समाज द्वारा हत्या करना भारतीय संस्कृति में अपराध है पुलिस के कार्य में गैरकानूनी तथा न्यायिक प्रक्रिया से न्याय सम्मत। जबकि इस्लामिक संस्कृति में समाज द्वारा दिये गये दण्ड को पवित्र कार्य माना जाता है।

हम अखलाक की हत्या पर विचार करें तो जो मुसलमान भारत में रहते है तथा शरीया कानून की वकालत करते हैं ऐसे लोगो के साथ हमें भारतीय संस्कृति के आधार पर व्यवहार करना चाहिए या शरीया संस्कृति के आधार पर, यह बहस का विषय है। पाकिस्तान सहित अनेक देशों में शरीया कानून लागू है। भारत में रहने वाले जो मुसलमान शरीया कानून के अमानवीय पक्ष का विरोध न करके उसे पूरी तरह उचित मानते है, ऐसे लोगों को भारत में खतरनाक व्यक्ति के रुप में क्यों न देखा जाये। यदि ऐसे मुसलमान भारत में बहुमत में होंगे तो वे यहॉ के अल्पसंख्यकों के साथ शरीया कानून के उस खतरनाक पक्ष को लागू करेंगे या नहीं? और यदि करेंगे तो ऐसे लोगों के साथ हम अपनी हिन्दुत्व की अवधारणा को छोड़कर उन्हीं के कानून के मुताबिक व्यवहार क्यों न करें? मैं जानता हूॅ कि ऐसा करना हिन्दुत्व के विरुद्ध है किन्तु यदि कोई अन्य हिन्दू ऐसे हिन्दुत्व के विरुद्ध जाकर जैसे को तैसा के आधार पर व्यवहार करता है तो मुझे ऐसे व्यवहार के बीच में क्यों पड़ना चाहिए। मैं प्रारंभ से ही मानता रहा हूॅ कि साम्प्रदायिकता को सिर्फ कुचला ही जा सकता है, कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों का जो समूह स्पष्ट रुप से शरीया के गलत पक्ष का विरोध नहीं करता, यदि उस गुट को साम्प्रदायिक हिन्दू समाप्त करने का प्रयास करें तो यह कार्य ऐसा नहीं है जिसमें हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यह तो दो साम्प्रदायिक विचारधाराओं के बीच का आपसी टकराव है।

कानून और न्याय यदि आपस में टकराते है तो हम न्याय का साथ देंगे कानून का नहीं। इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी अपराधी को पुलिस बिना न्यायालय में प्रस्तुत किये सीधा दण्ड दे दें तो मेरे विचार में हम तटस्थ रहे न कि कानून के साथ। साथ ही यह भी समझना होगा कि यदि कोई अन्यायी कमजोर होने की स्थिति में न्याय की अपेक्षा करे और हमें विश्वास हो कि वह मजबूत होते ही अन्याय करेगा ही तो ऐसे व्यक्ति को न्याय मिलने में हमारी भूमिका पर फिर से विचार करना चाहिए। अखलाख ने गोमांस रखा और कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी तो कानून हत्या करने वाले को दण्ड देगा इसमें कुछ गलत नहीं किन्तु भारत में रह रहे अखलाख सरीखे मुसलमान को यह विश्वास दिलाना होगा कि कम से कम वह व्यक्ति शरीया कानून के उस पक्ष का खुला विरोधी है, जो पाकिस्तान या कुछ अन्य देशों में अल्पसंख्यको के लिए प्रयोग में आ रहा है।

मैं स्पष्ट कर दूॅ कि मैं गोहत्या या गोमांस भक्षण पर रोक लगाने के लिए किसी भी कानून के पूरी तरह विरुद्ध हूॅ क्योंकि मैं ऐसे कानून को मौलिक अधिकार का उलंघन मानता हूॅ। इसके बाद भी मैं इस पक्ष का नहीं कि मौलिक अधिकारों को पूरी तरह अस्वीकार करने वाले कुछ मुसलमान मौलिक अधिकार की आड़ लेकर

बहुमत के विचारों का निरादर करें। इस संबंध में भारत के मुसलमानों को विशेष सर्तक रहने की आवश्यकता है जिसमें अखलाख और उसके परिवार ने गलती की है।

2—बिहार में नील गाय हत्या

समाचार है कि केन्द्रीय मंत्री मेनका गॉधी ने कुछ पशु अधिकार प्रेमियों के पक्ष में आवाज उठाई है, कि किसी भी परिस्थिति में नील गाय, बंदर, शेर, हाथी आदि पशुओं को न प्रताड़ित किया जाये,न मारा जाये।

मैंने इस विषय पर बहुत गम्भीरता से विचार किया और पाया कि ऐसी मांग करने वाले तथा ऐसी मांग का समर्थन करने वाले पूरी तरह गलत हैं तथा आलोचना के पात्र हैं। मेनका गॉधी के विषय में तो मेरा लम्बे समय से मानना है कि उन्हें सिर्फ इस आधार पर मंत्री बनाया जाता है कि वे संजय गॉधी की पत्नी है, और वरुण गॉधी की मॉ हैं। यदि मंत्री बनने के लिए यही योग्यता जरुरी है तो उन्हें क्यों न बिना विभाग का मंत्री बनाकर कुछ सुविधाएँ और सम्मान प्राप्त करने की छूट दे दी जाये। अयोग्य लोगों को मंत्री पद देकर समस्या पैदा कराना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा यह भी विचार रहा है कि पर्यावरणवादी या पशु अधिकार प्रेमी होने का जो लोग बहुत बढ़चढ़ कर भूमिका निभाते है, उनमें से अधिकांश लोग किसी विदेशी या भारतीय संगठन के वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं। पर्यावरणवादी या पशु अधिकार की वास्तविक वकालत करने वाले इन पेशेवर लोगों के समान हल्ला करने की अपेक्षा अपने तर्क देते है या अपनी संतुलित भावनाएँ व्यक्त करते हैं।

मेरा यह भी मानना है कि ये उच्श्रृंखल पशु जो फसलों को, लोगों को, या सामान्य जनजीवन को नुकसान पहुॅचाते है, उन्हे अब तक मार देना चाहिए था किन्तु निकम्मी सरकारों ने ऐसी हिम्मत नहीं की। मैं 10 वर्ष पूर्व उत्तराखण्ड और हिमाचल के दौरे पर था। आमतौर पर गावों के लोगों ने शिकायत की कि बंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुॅचाते है और हम उन्हें इसलिए नुकसान नहीं पहुॅचा सकते कि हमारी धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। मैंने सबको समझाया कि जो बंदर आपको हनुमान और सुग्रीव सरीखा दिखता हो ऐसे शरीफ बंदर को बचाकर रखिये किन्तु जो बंदर आपको बाली के समान दुष्ट दिखता हो उसे तो भगवान राम ने भी मारा था। इसी तरह उ0 प्र0 में कई स्थानों पर मुझे नील गायो का राक्षसी आतंक दिखा और महसूस किया कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले ऐसी नील गायों से उ0 प्र0 को मुक्त करा देता। भले ही उसमें 10—20 हजार पशु मारे जाते। हजारों लाखों बकरे और मुर्गे रोज कटकर मांसाहारियों के भोजन के रुप में काम आते है तो ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति की नील गाय और बंदर भी ऐसे लोगों के काम आ जाते। यदि ये लोग इतने ही पशु प्रेमी है तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के पशुओं को अपनी देखरेख में पालन पोषण शुरु कर दें। ये पर्यावरण प्रेमी या जीव दया का पेशेवर नाटक करने वाले समस्याएँ पैदा तो करना जानते है किन्तु समाधान नहीं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार को बहुत बहुत बधाई देता हूॅ कि उन्होंने ऐसी पहल की और साथ ही मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से आग्रह करता हूॅ कि वे निकम्मी मेनका गॉधी से यह विभाग लेकर उन्हें बिना विभाग का मंत्री बना दें।

इस संबंध में हमारे फेसबुक के साथी बलराज जी ने अपने माता—पिता और बाघ—शेर की तुलना एक समान की है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपने घर में भी बाघ—शेर या सर्प सरीखे जन्तु पाल पोष कर रखे होंगे। उन्होंने मुल्लो को दरींदे तथा इस्लामी दरींदे जैसे शब्दो का प्रयोग किया है। मैं ऐसे शब्दो के उत्तर देना उचित नहीं समझता। उन्होंने सलाह दी है कि यदि मनुष्यों को समाप्त कर दिया जाये तो सारी समस्याएँ हल हो जायेंगी। मेरी सलाह है कि वे यह काम अपने से शुरु करें, अपने परिवार से शुरु करें।

कुछ अन्य साथियों ने इस समस्या को स्थानीय स्तर पर निपटाने की सलाह दी हैं। इस सलाह से मैं पूरी तरह सहमत हूॅ। मैं तो यहॉ तक मानता हूॅ कि स्थानीय स्तर के हर प्रकार के मामलों को ऐसे स्थानीय स्तर पर निर्णय करने का अधिकार दे देना चाहिए।

जहॉ तक नील गाय मारने के आदेश का संबंध है तो ऐसा आदेश केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है। बल्कि सच्चाई यह है कि केन्द्र सरकार ने इस तरह के पशुओ को मारने पर जो रोक लगा रखी है उस संबंध में वर्तमान सरकार ने प्रदेश सरकार को नील गाय मारने के संबंध में अनापत्ति दी है।

3—स्विटजर लैड का जनमत संग्रह

दुनियां मे अनेक देश ऐसे हैं जहां संविधान संशोधन में मतदाताओं की भी भूमिका का समावेश होता है। स्विटजर लैड सरीखे कुछ देश ऐसे भी है जहां कुछ विशेष प्रकार के कानून बनाने में भी जनमत संग्रह की प्रथा है। भारत दक्षिण एशिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां न किसी कानून के लिये जनमत संग्रह का कोई प्रावधान है न ही संविधान संशोधन के लिये। यहां तक कि केशवानंद भारती प्रकरण के द्वारा न्यायपालिका असंवैधानिक कदम उठाकर मूल अधिकारों को संविधान संशोधन से आंशिक रूप से बाहर नहीं करती तो भारत का तंत्र तो लोक को गुलाम बनाकर रखने के सारे अधिकार अपने पास रख ही चुका था।

स्विटजर लैड में बड़ी संख्या में जनता ने आवाज उठाई कि उन्हें प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जीवन भत्ता दिया जाना चाहिये। नियमानुसार विषय की गंभीरता को देखते हुए जनमत संग्रह कराया गया, जिसमे 75 प्रतिशत लोगों ने इस प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि बिना परिश्रम के किसी भी प्रकार की सुविधा देना ठीक नहीं है।

हमलोगों के संगठन ''व्यवस्थापक'' ने जिन चार मुददों पर जनमत जागरण शुरू किया है उनमे यह मुद्दा भी शामिल है कि भारत मे कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य ढाई गुना करके इकठ्ठा होने वाली सारी राशि देश की आधी आबादी मे बांट दी जाये, जो अनुमानित 2000 रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से भी अधिक हो सकती है।

हम लोगो ने स्विटजर लैड के जनमत संग्रह के पूर्व भी इस चौथी मांग पर गंभीर विचार किया तथा उसके बाद भी। हमारी कमेटी के कुछ लोग इस चौथी मांग से कभी सहमत नहीं रहे। हमारे संरक्षक विजय कौशल जी महाराज या हमारे महत्वपूर्ण साथी नरेन्द्र सिंह जी कछवाहा राजसमंद तथा कुछ अन्य साथियों ने भी इस मांग से असहमति व्यक्त की। दूसरी ओर कुछ साथियों का यह मत है कि कृत्रिम की मूल्य वृद्धि होना सभी आर्थिक समस्याओं का एक मात्र समाधान है। इस मूल्य वृद्धि से प्राप्त धन यदि सरकारी खजाने में जायेगा तो उससे अधिक समस्या पैदा हो सकती है। इसलिये इस एकत्रित धन को पूरी आबादी में 2000 रूपया के हिसाब से या कम से कम आधी निचली आबादी को और बढ़ाकर बांट दिया जाये । बंटवारे की व्यवस्था चाहे जो भी हो किन्तु कृत्रिम ऊर्जा की भारी मुल्य वृद्धि तो होनी ही चाहिये। मैं भी इस बात से सहमत हूॅ।

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे ऊपर के दो मुद्दे निर्णायक हैं। नीचे के दोनों मुद्दे जिनमें यह चौथा मुद्दा शामिल है, इन दो के साथ कभी कोई संशोधन या समझौता भी हो सकता है। फिर भी अभी हम चारों मुद्दों को एक साथ लेकर चल रहे है। क्योंकि हमारा विचार है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता तो मिल ही चुकी है, सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई व्यवस्थापक लड़ रहा है, किन्तु यदि आर्थिक स्वतंत्रता को पूरी तरह छोड़ दिया गया तो यह समाज मे कभी शान्ति नहीं होने देगा। इसलिये हम सामाजिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई एक साथ लड़ रहे है । मै यह भी स्पष्ट कर दूॅ कि संविधान संशोधन के हर मामले में व्यवस्थापक तंत्र के असीम अधिकारों पर अंकुश के लिये निरंतर संघर्षरत है। स्विटजर लैड के जनमत संग्रह प्रणाली को देखते हुए हमारी भारत की राजनैतिक व्यवस्था को भी इस दिशा में अवश्य सोचना चाहिये।

नई प्रस्तावित व्यवस्था की समीक्षा

महावीर सिंह जी ,नोएडा, उ0प्र0,

व्यवस्था परिवर्तन अभियान से जुड़े साथी कार्यकर्ता अभी तक निम्न चार बिन्दुओ पर जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। 1. परिवार, गांव व जिले को संवैधानिक अधिकार 2. राईट टू रिकॉल 3. लोक संसद की स्थापना 4. जीवन निर्वाह भत्ता।

उपरोक्त बिन्दुओं के कार्यान्वयन हेतु लोक संसद के प्रतिनिधियों का चुनाव मतदाताओं द्वारा किया जाना क्या उचित होगा? जबकि आज की पश्चिमी संसदीय प्रणाली अव्यवस्था की तथा लोक तंत्र की चुनाव प्रणाली ही भ्रष्टाचार तथा अन्य समस्याओं की जड़ है। लोक संसद के प्रतिनिधियों का चुनाव न होकर अप्रत्यक्ष रूप से चयन होना चाहिये।

दूसरे जीवन निर्वाह भत्ता न होकर राजनैतिक एंव सामाजिक आजादी की तरह ही आर्थिक आजादी का प्रावधान संविधान मे होना चाहिये। मूल अधिकारों में सम्पत्ति का अधिकार न होकर प्रत्येक नागरिक को भोजन का तथा हर बालिग को रोजगार का अधिकार मिलना चाहिये। सम्पत्ति को मूल अधिकार में लाने के कारण ही तो पूँजीवादी व्यवस्था का निर्माण होता है। केवल श्रम आधारित एवं ईमानदारी से अर्जित सम्पदा को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया जाना उचित होगा।

परिवार की परिभाषा काफी ठीक है, किन्तु उसमें मुखिया का चयन गुप्त मतदान से करवाना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि परिवार का मुखिया आज भी उसके सबसे वृद्ध व्यक्ति पिता अथवा दादा को माना जाता है। ग्राम सभा में प्रतिनिधित्व हेतु परिवार के किसी भी समझदार व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। परिवार में प्रत्येक सदस्य की स्वतंत्रता का भी प्रावधान होना चाहिये। आपराधिक कार्यों को छोड़ कर परिवार के प्रति अपने दायित्व निभाते हुये उसको अपनी रुचि एवं विचारानुसार कार्य करने अथवा किसी संस्था या संगठन का सदस्य बनने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। वह विदेश में जाकर नौकरी कर सकता है तथा वहॉ निवास कर सकता है, तब भी वह संयुक्त परिवार का सदस्य बने रहना चाहिये। जब तक कि वह वहॉ का नागरिक नहीं बन जाता तथा परिवार से अपना स्वयं संबंध विच्छेद नहीं कर लेता।

बालक के वयस्क होने के लिये उसकी उम्र 12 वर्ष न होकर 16 वर्ष होनी चाहिए। वयस्क होने के पश्चात् वह स्वतंत्र है, परिवार का सदस्य बने रहने या परिवार छोड़ने के लिये।

भारत में बड़े–बड़े गॉव भी काफी संख्या में हैं, जबकि कुछ छोटे–छोटे गॉव भी होंगे। ग्राम सभा के लिये गॉव की औसत आबादी 1300 के बजाय कम से कम 5,000 होनी चाहिये। आज तो कुछ गॉव 20,000 जनसंख्या के भी है तथा उसके ऊपर आबादी के गॉव नगरपालिका की परिधि में आ जाते हैं। ग्राम सभा की भांति नगर में मोहल्ला सभा होनी चाहिये, जिसको ग्राम सभा के अधिकार होने चाहिये।

अपराधियों को कड़ा दण्ड अथवा फांसी देने के स्थान पर उन्हें सुधार गृह में भेजकर उनको सुधार का अवसर देना चाहिये। आज तक का अनुभव है कि अपराधी को जेल भेजने से अपराध कम न होकर बढ़े है, क्योंकि अपराधी जेल से निकलकर प्रायः पक्का अपराधी बनकर आता है। यों भी न्यायालय किसी मामले में झूठी या सच्ची गवाही के आधार पर निर्णय देता है, न्याय नहीं करता। गॉव में किसी अपराध की सच्चाई का पता आसानी से चल जाता है तथा पंचायत पंच परमेश्वर होकर न्याय करती है। पुलिस के सहारे भी सुरक्षा व न्याय नहीं हो सकता तथा ग्राम सभा स्वयं न्याय व सुरक्षा का काम अच्छी प्रकार से कर सकती है। इस तरह पुलिस व न्यायालयों की आवश्यकता ही नई व्यवस्था में नहीं रहेगी। ग्राम स्वराज्य द्वारा लगभग सभी समस्याओं का हल मिल जायेगा, केवल कुछ नियम जैसे वित, विदेश व सेना ही सरकार के अधीन रहेंगे। लोक सभा के सदस्यों का चयन केन्द्र सभा करेगी न कि चुनाव मतदान द्वारा होगा। केन्द्र सभा सरकार पर पूरा नियंत्रण रखेगी तथा नीति निर्धारण करेगी।

नई समाज व्यवस्था में अपराध पीड़ित एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को ही उचित मुआवजा दिया जावेगा। अपराधिक गतिविधियॉ या साम्प्रदायिक दंगे करते समय हानि उठाने वाले व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।

प्राथमिका इकाई ग्राम सभा ही अपराधिक गति विधियों का न्याय पंचायत द्वारा निपटारा करेगी तथा उसके निर्णय की जिला सभा में अपील की जा सकेगी। दंड प्रक्रिया के बदले सुधार प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जावेगा। जिलाध्यक्ष जिले में न होकर जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। जिले में पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अधिकार मोहल्ला सभा तथा ग्राम सभा को प्राप्त होंगे।

असहाय निर्धन वर्ग का अधिकार होना चाहिये सुविधा प्राप्त करने का न कि किसी की दया पर। वंचितो को सुविधा पाने का अधिकार होगा तभी आर्थिक समानता आवेगी।

न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका का निर्धारण निम्न इकाइयां ग्राम सभा, जिला सभा स्वयं आवश्यकतानुसार करेंगी। ये इकाईयां स्वयं इन सब कार्यो को कर सकती हैं। सुरक्षा हेतु ग्राम सभा गांव में ही कुछ वालंटियर से शान्ति सेना के रूप मे सुरक्षा का कार्य करायेंगे। यह सब कार्य न्याय सुरक्षा संबंधी सेवा भाव से कर्तव्य समझकर किये जायेगे। ग्राम सभा, जिला सभा, प्रदेश सभा तथा केन्द्र सभा अपने क्षेत्र के सब कार्य परिवार भावना से कर्तव्य रूप में समझ कर करेंगे। नई व्यवस्था ग्राम स्वराज्य की होगी। इसके संबंध में लिखित अथवा अलिखित संविधान कार्य करेगा। इंग्लैड मे कोई लिखित संविधान नहीं है।

नई समाज व्यवस्था में अमीरी व गरीबी नहीं होगी बल्कि एक समृद्ध समाज होगा जिसमे अधिक से अधिक एक दस का अंतर होगा। छोटी–बड़ी हाथ की उंगलियों की भांति। सभी सामाजिक कुरीतियों जाति प्रथा, उच–नीच, स्त्री–पुरूष का भेद, भाषा भेद आदि समाप्त करना होगा।

शिक्षा श्रम आधारित ज्ञान व रोजगार परक होनी चाहिये, जिसमे दोनों ज्ञान व श्रम का मूल्य समान होगा। शारीरिक एंव बौद्धिक श्रम का निर्धारण आय के संबंध में समान होगा तथा प्रत्येक नागरिक समग्र विकास के लिए दोनों प्रकार का श्रम करेगा।

शिक्षा प्राप्त करने हेतु कोई परीक्षा तथा प्रतिस्पर्धा का प्रावधान नहीं होना चाहिये क्योंकि उनसे मानसिक तनाव एंव इर्ष्या पनपती है, जिसके कारण आत्महत्या तक शिक्षार्थी करते है। अमीर व गरीब के बालको के लिये समान शिक्षा होनी चाहिये। जैसे गुरू कुल प्रणाली शिक्षक और छात्र मिलकर खेतो में श्रम करके उत्पादन तथा शिक्षा एक साथ करते थे। वहां पर राजा रंक के बालक एक समान थे जैसे कृष्ण सुदामा साथ–साथ गुरूकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। सरकार अपना खर्च चलाने के लिये व्यवस्थापिक सम्पत्ति पर केवल दो प्रतिशत टैक्स निर्धारित कर सकेगी। अन्य कोई टैक्स नहीं। प्रत्येक इकाई अपने आप व्यय का निर्धारण स्वयं कर सकेगी।

धार्मिक संस्थाओं को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। वे अपने सभी आयोजनों की व्यवस्था स्वयं करेंगे। उसके लिए कोई प्रबंध अर्थात् व्यय सरकार अथवा कोई इकाई नहीं करेगी। उनकी साम्प्रदायिक एवं नकारात्मक गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिये। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

नई व्यवस्था में स्त्री–पुरुष को समान सम्मान मिलेगा तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्त्री उत्पीड़न नहीं होना चाहिए?

वर्तमान की भांति मीडिया को अनावश्यक बढ़ावा व लाभ विज्ञापन संबंध नहीं पहुंचाना चाहिये, तभी वह अपनी उचित भूमिका निभा सकेगा।

मैं चाहता हूॅ कि नई व्यवस्था में इन सुझावों पर भी विचार होना चाहिए।

मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ कि किसी विषय पर किसी पाठक की कोई समीक्षा या आलोचना प्राप्त हो तो उसे मेरे उत्तर सहित ज्ञानतत्व में स्थान दिया जाये जिससे की आगे उसके और मेरे बीच समीक्षाओं के आदान प्रदान से पाठक कोई निष्कर्ष निकाल सके। यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसी बात आयी हो जिसमें किसी पाठक की समीक्षा की अनदेखी की गई हो तो आप मुझे बताइयेगा।

अपनो से अपनी बात

ऐसी मान्यता है कि दुनियां में कलियुग अपने अंतिम चरण में है तथा कभी भी सतयुग आ सकता है। हमारा लक्ष्य है कि सतयुग हमारे समय में ही आये, हमारी ही पहल पर आवे। दुनियां की अनेक संस्कृतियॉ इस दिशा में सक्रिय हैं। किन्तु भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर हम सतयुग की वापसी की दिशा में तेज छलांग लगाना चाहते हैं।

कार्य असंभव की सीमा तक कठिन होने से हम इस कार्य की पहल भारत से करना चाहते हैं। भारत में भी राजनैतिक सत्ता ने सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पर अपना निर्णायक एकाधिकार स्थापित कर लिया है। इसलिए हम व्यवस्थापक नाम से एक संगठन बनाकर भारत की राजसत्ता को लोक नियुक्त की जगह पर लोक नियंत्रित की दिशा में जाने के लिये सहमत या मजबूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ज्ञान यज्ञ परिवार के नाम से एक संगठन बनाकर नई सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, वैश्विक तथा अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं का एक काल्पनिक स्वरुप बनने की दिशा में भी विचार मंथन जारी रख रहे है जिससे राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन की संभावना बनते ही कोई शून्य न बन जावे।

राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन के समय का ऑकलन दो हजार चौबीस घोषित है किन्तु वृंदावन में विजय कौशल जी के आश्रम में सम्पन्न तीन दिनों के शिविर की प्रगति से जल्दी सफलता की संभावना बनी है।

आप हमारे एक विचारवान साथी रहे हैं। आप इस दिशा में कितनी सक्रिय सहायता कर सकते हैं इसकी सूचना देने की कृपा करें। जो साथी दोनों संगठनों में एक साथ जुड़ना चाहें वे दोनों में अन्यथा अपनी क्षमतानुसार किसी एक में जुड़ सकते हैं। पूरे भारत में एक साथ पिछले छः माह से कार्य प्रारंभ है। कलियुग को चुनौती एक अलग कार्य है तथा सतयुग की प्रगति अलग। कलियुग को चुनौती का आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन अभियान के बैनर तले चल रहा है। सतयुग की वापसी का कार्य उसके बाद होगा, जिसकी रूपरेखा बनाने का कार्य अभी से चला रहे है। आपकी क्षमता का हमें कोई आभाष नहीं है। यह आभाष आप ही कर सकते है कि आप इस कार्य में गिलहरी कि भूमिका में मदद कर सकते है, अथवा नल–नील, हनुमान, सुग्रीव अथवा राम की। आपका उत्तर आने से पता चलेगा। आपके उत्तर की प्रतीक्षा है।